

प्रारूप-5

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत देहलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 5.000)

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय। :- संलग्न है।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण/खण्ड
लक्ष्मी एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

संख्या:- 6034 / 11(2) / 11-109(प्र0आ0) / 2011

धीरेन्द्र सिंह दत्तल,
उप सचिव,
राज्य शासन।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून, दिनांक: 22-दिसम्बर, 2011

अनुभाग-2

जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र-श्रीनगर के अन्तर्गत देहरादून-सोहर मार्ग से चामापानी धौलाकण्डी होते हुए काण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विवरण विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल विभाग, पौड़ी द्वारा जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र-श्रीनगर के अन्तर्गत देहरादून-सोहर मार्ग से चामापानी धौलाकण्डी होते हुए काण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन, लम्बाई 5.00 किमी तथा लागत ₹ 63.00 लाख के सापेक्ष टी0र0सी0 प्रस्तावित कार्य पर विवेचन करके ₹ 63.00 लाख प्रस्तावित कार्य के प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते

स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाय। उक्त शासनादेश सं0-1794/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाय।

आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का व्यय दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्वायरमेंट रूलस-2008 एवं उक्त के विषय में अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत विनिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इस कार्य के निर्वहन में भी अनुपालन किया जायेगा।

प्र0 ए0 98/14-माता-12/2011 दिनांक 26-12-2011
प्रतिलिपि अधिष्ठाता अभियन्ता विभाग एवं लोक निर्माण विभाग

-2-

उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया

स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी का होगा।

अनुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में सं०-22-लेखाधीन-50-4 मदों तथा सेतओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-भवन/संयुक्त आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-निर्माण कार्य की मद में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन में रखी गयी धनराशि से किया

वित्तीय वर्ष-2011-12 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व किया जायेगा।

संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-क-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

अनुभाग-02 अशासकीय संख्या 798 / XIV/II(2)/2011 दि० 22 दिसम्बर, 2011 को महमति से जारी किये जा रहे हैं।

(धीरेन्द्र सिंह बाला)
उप सचिव

(1)/II(2)/11-109(प्रा०आ०)/2011 तददिनांक।

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

जिलाधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक.नि.वि., पौड़ी।

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।

मुख्य अभियन्ता, जनपद देहरादून।

वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रव. उ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

अधीक्षण अभियन्ता, 12वाँ वृत्त, लो०नि०वि० पौड़ी गढ़वाल।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर।

लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।

गार्ड बुक।

मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

आज्ञा से,

30/12/11 धीरेन्द्र सिंह बाला
उप सचिव

उपरोक्त की तस्ति लिखित निम्न लिखित के व्यवस्थापक

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) जनपद पौड़ी गढ़वाल।